## प्रेस नोट दिनांक 21.09.2023

- (1). आज दिनांक 21.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेटस वितरित किये गये।
- (2). आज दिनाँक 21.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।
- (3). आज दिनाँक-21.09.2023 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। महोदया द्वारा समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बाल अपचारियों/नाबालिक पीडित/पीडिता की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए। महोदया द्वारा बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीडित/पीडिता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा, किसी भी स्थिति में कोई नाबालिक मुकदमें का वादी नहीं होगा। बलात्कार की नाबालिक पीडिताओं के गर्भवती होने पर बाल कल्याण समिति संज्ञान लेकर उनके मेड़ीकल उपचार में सहायता करे एवं आर्थिक रुप से कमजोर पीडिताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें। SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यों एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

इस गोष्ठी में जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि बाल अपचारियों से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हे CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेंगी। यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चों को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये।

इस गोष्ठी में जिला प्रोवेशन अधिकारी श्री पंकज मिश्रा, िकशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष सोनम गुप्ता, संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री दिनेश त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू श्री योगेश कुमार तिवारी अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित, पीआरओ श्री गुलाब त्रिपाठी, बाल कल्याण इकाई के सदस्य, समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं उनकी टीम उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0िन0 राम प्रवेश यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजा यादव पुत्र छेदीलाल यादव निवासी सोतीपुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को अबैध 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1. उ0नि0 श्री राम प्रवेश यादव थाना राजापुर
- 2. आरक्षी अंकित शुक्ला
- 3. आरक्षी शुभम त्रिपाठी
- (5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में विराध उनिक श्री रामवीर सिंह व उनकी टीम द्वारा एसटी उनम्बर 399/23 मु0अ0स0 225/13 धारा 452/323/336/504/506 भादिव के वारण्टी अभियुक्त राजू सोनकर पुत्र समोखी सोनकर निवासी रुपौलिहन टोला कस्बा राजपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1. वरि0उ0नि0 रामवीर सिंह थाना राजापुर
- 2. आरक्षी शुभम त्रिपाठी
- (6). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लिम्बत चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कवीं श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना कोतवाली कवीं में पंजीकृत मु0अ0सं0 497/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त नौसाद उर्फ रहमत पुत्र बाबू खाँ निवासी पहरा रोड़ कस्बा भरतकूप जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक 16.07.2019 को तत्कालीन उ0िन0 श्री सत्यदेव सिंह थाना कोतवाली कवीं तथा उनकी टीम द्वारा द्वारा अभियुक्त नौसाद उर्फ रहमत उपरोक्त को 01 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कवीं में मु0अ0सं0 497/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचक तत्कालीन उ0िन0 श्री राहुल कुमार द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनाँक 07.10.012 आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।